यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

ठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

जस्व वाद संख्या : 106/2021

CMS NO. : 2021/164

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. पदमसिंह पुत्र बद्रीदान 2. महिपाल पुत्र बद्रीदान 3. राजेश्वर कुमार पुत्र बद्रीदान जातियान– चारण, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।		1. इन्द्रादेवी पुत्र पुनाराम 2. ओमी देवी पुत्री दुर्गाराम 3. केलकी पुत्री भीकाराम 4. गणपती पुत्री दुर्गाराम 5. गीता पत्नी दुर्गाराम 6. धर्माराम पुत्र पुनाराम 7. नाथी देवी पत्नी धर्माराम 8. पतारी पुत्री भीकाराम 9. बक्साराम पुत्र भीकाराम 10. बुधाराम पुत्र घेवरराम 11. बलवीर पुत्र सुगनाराम 12. बाबुलाल पुत्र पुनाराम 13. बींजाराम पुत्र रमजी 14. मीरादेवी पुत्री पुनाराम 15. रतनाराम पुत्र सुगनाराम 16. रामदीन पुत्र रमजी 17. रामपाल पुत्र सुगनाराम 18. सन्तोष देवी पुत्री दुर्गाराम 19. सुमित्रा पुत्री दुर्गाराम 20. सांवरराम पुत्र दुर्गाराम 21. हड़मान पुत्र सुगनाराम जातियान– कुम्हार (कुमावत), निवासीगण–डिगरना, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज० 22. विवेक पुत्र दिनेश 23. उषाकंवर पत्नी दिनेश 24. महावीरसिंह पुत्र राजेन्द्र 25. महेश पुत्र राजेन्द्र 26. आनन्दसिंह पुत्र तेजदान 27. कौशल्या कंवर पुत्री तेजदान जातियान– चारण 28. गुटी देवी पत्नी भिंजाराम 29. राधा पत्नी रामदीन जातियान– कुमावत 30. शिवसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति– चारण निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07/07/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री [illegible]
2. श्री चुतरांराम भाटी, श्री राजुराम कुमावत, [illegible], अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 16/0[illegible]2

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा डिगरना भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र म्बोल तहसील जैतारण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि डिगरना से फालकी जाने वाले रास्ते के दक्षिण में स्थित है। प्रार्थीगण संख्या 01 से 21 की खातेदारी कृषि भूमि रास्ते के चिपते ही दक्षिण में सरा संख्या 380 रकबा 4.3787 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा अप्रार्थीगण ख्या 22 से 27 की कृषि भूमि खसरा संख्या 393 रकबा 0.9227 हैक्टेयर कस्म बारानी दोयम स्थित है तथा इसके दक्षिण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरा संख्या 397 रकबा 2.8004 हैक्टेयर स्थित है। नकल जमाबंदी संवत् 2077 2080 तथा नकल फोटो प्रति ट्रेस नक्शा पेश है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि/खेत में खड़ाई बुवाई कटाई तथा कृषि प्रयोजनार्थ कार्य हेतू आने जाने का ीढ़िया/कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 380, 393 की भूमि के पूर्वी ओर स्थित रास्ते से आवागमन करते है तथा जो रास्ता मौके पर करीब 15 फुट चौड़ाई में है। उक्त रास्ते का अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का नही है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण स्वयं, मजदूर, मवेशी व ट्रेक्टर आदि आते जाते/आवागमन में काम में लेते हे इसके अलावा मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अपनी खातेदारी की भूमि/खेत को लाल रंग से व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 380, 393 की भूमि को हरे रंग से तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि को नक्शे में मार्क ए, बी से सी, डी पीले रंग में दर्शाया गया है। खसरा संख्या 380 के खातेदार गलकाई पत्नी रमजी की मृत्यु हो चूकी हे जिसके विधिक वारिसान बींजा, रामदीन पुत्र रमजी बतौर खातेदार जमाबंदी में दर्ज है। खसरा संख्या 397 के खातेदार तेजदान पुत्र प्रभुदान है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 22 से 27 को बतौर पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए, बी से सी, डी से दर्शित रास्ते से होकर प्रार्थीगण व उसके पूर्वज अपने खेतो में आने जाने के लिए काम में लेते आ रहे हे। मौके पर रास्ता चालू है वर्तमान में बारिश का मौसम होने से प्रार्थीगण अपने खेत की खड़ाई बुवाई के लिए ट्रेक्टर लेकर दिनांक 25.06.2021 को जाने पर अप्रार्थीगण इस रास्ते में बाधा व व्यवधान डाला तथा रोक टोक हुई तब प्रार्थीगण व अन्य लोगो ने समझाईश की व अप्रार्थीगण को कहा कि रास्ता बन्द नही करे। परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण बन्द करने की धमकी दी तथा रास्ता बंद करने पर आमादा हुए। यदि अप्रार्थीगण लाठी व हठधर्मिता से रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थीगण अपने खेत में फसल की बुवाई नही करने से आर्थिक नुकसान भी होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को यह भी कहा कि इस रास्ते लेने [illegible] भी देने को तैयार है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार [illegible] रास्ते के रूप में काम आयेगी उतनी जमीन प्रार्थीगण जम[illegible] करवाने के अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस में रास्ता भी तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि बाबत् मुआवजे राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है। तथा प्रार्थीगण खेत में जाने हेतू सबसे निकटतम एवं कम दूरी का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नक्शे में पीले रंग से दर्शाया है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए त्यधिक आवश्यक है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो के तहत पेश क्या है जो अन्दर म्याद है। तथा निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। जो प्रार्थना पत्र ीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन ास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 10 से 14, 6 तथा 22 से 27 द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो ामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5, 8, 9, 15, 17 से 21, 28 से 30 को बार बार रूक रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 10 से 14, 16 ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 का जवाब है कि सरहद मौजा डिगरणा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन आई हुई है जो ग्राम डिगरना से फालकी जाने वाले रास्ते पर है प्रार्थीगण की जमीन खसरा संख्या 397 है तथा अप्रार्थीगण की जमीन खसरा संख्या 380 है अप्रार्थी संख्या 22 से 27 की जमीन खसरा संख्या 393 आई हुई है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 380, 393 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता होना बताया गया है जो गलत है मौके पर कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन में रास्ता होने की बात सरासर गलत व बनावटी है अप्रार्थी संख्या 01 से 21 की खातेदारी जमीन खसरा सख्या 380 में कभी भी रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक खसरा संख्या 381, 391, 392, 394 से होकर अपने खातेदारी का खेत खसरा संख्या 397 में आता जाता है वर्तमान में इन्ही खसरा संख्या से रास्ता मौके पर कायम है। ग्राम डिगरना से फालकी जाने वाले रास्ते पर खसरा संख्या 381 पर किवाड़ी लगी हुई है मौके पर रास्ता होने की वजह से लकड़ी की किंवाड़ी लगी हुई है खसरा संख्या 381, 391, 392, 394 में से पदमसिंह के खेत में जाने वाले रास्ते की लम्बाई 1400 फुट है जबकि खसरा संख्या 381, 391, 392, 394 की जमीन प्रार्थीगण के भाईबन्ध की है उक्त भूमि में रास्ता मौके पर विद्यमान होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 01 से 21 की जमीन खसरा संख्या 380 में से नया रास्ता निकालना चाहते है जो गलत है खसरा संख्या 380 व 393 पदमसिंह का खेत खसरा संख्या 397 तक लम्बाई लगभग 1900 फुट है प्रार्थीगण ने जानबूझकर अपने भाई बन्ध की जमीन में से रास्ता मौके पर चालू/विद्यमान की मांग न कर अप्रार्थी संख्या 01 से 21 की जमीन खसरा संख्या 380 की जमीन में से प्रार्थना पत्र में मांग रास्ता की है जो सरासर गलत है। प्रार्थीगण ने अपने खेतो में आने जाने के लिए खसरा संख्या 380 व 397 के अलावा अलग से रास्ता प्रार्थीगण के भाईबन्ध के खातेदारी में से होकर चालू हालत में होते हुए नये रास्ते की मांग कर रहे है जो गलत है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 21 के खसरा संख्या 380 में वर्तमान मूंग की फसल बोई हुई है कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ जो मौके का नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है जो सरासर गलत है। खसरा संख्या 380 के खातेदार गलकाई पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मजी की मृत्यु हो चूकी है गलकाई के वारिस बीजाराम, रामदीन बतौर खातेदार है। तेजदान की जमीन खसरा संख्या 393 है न की खसरा संख्या 397 प्रार्थना पत्र में गलत लिखा है तेजदान के वारिस अप्रार्थी संख्या 22 से 27 है जो सही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.06.2021 को खसरा संख्या 380 में से होकर जाने व अप्रार्थीगण द्वारा रोक टोक करने बाबत् लिखा है जो सरासर गलत है मौके पर खसरा संख्या 380 में कोई रास्ता कभी रहा ही नही तो बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है केवल मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से खसरा संख्या 380 में रास्ता होने की बात लिखी है जो गलत है। अप्रार्थीगण शांत प्रवृति के काश्तकार है जिससे प्रार्थीगण नाजायज तौर से डरा धमकाकर लाठी के बल पर खसरा संख्या 380 में से नया रास्ता कायम करने की चेष्टा रखते है जिससे प्रार्थीगण कभी सफल नही होगे क्योकि प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की कृषि भूमि खसरा संख्या 381, 391, 392, 394 में से वक्त सेटलमेंट से रास्ता का उपयोग उपभोग कर आवागमन कर अपने खेतो में आते जाते है जो दूरी/लम्बाई में भी कम है तथा चालू हालत में है। जिसका मौके का नजरी नक्शा बनाकर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इसलिए अब नये सिरे से नये रास्ते की मॉग की है जो सरासर गलत व गैरकानूनी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 22 से 27 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि सरहद मौजा डिगरना में स्थित है। उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 393 के उत्तर में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 21 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण डिगरना से फालकी जाने वाले रास्ते से खसरा संख्या 380 अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर उत्तरदाता अप्रार्थीगण के खेत के पश्चिम साईड में स्थित रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 397 में से होकर आते जाते है। प्रार्थीगण अपने खेत में खड़ाई बुवाई व कटाई व कृषि कार्य हेतू पीढियो से अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 380 व 393 की भूमि के पूर्वी ओर से रास्ते से आते जाते है व उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत में जाने का नही है। प्रार्थीगण उत्तरदाता अप्रार्थीगण के खेत में से बने रास्ते से होकर अपने खेत में यदि आते जाते है तो हम प्रार्थीगण को कोई उजर एवं ऐतराज नही है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 व 5 सही होने से स्वीकार है तथा पद संख्या 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पद संख्या 6 में दर्ज कथन इस हद तक सही है कि प्रार्थीगण डिगरना से फालकी जाने वाली रास्ते से होकर खसरा संख्या 380 के खेत के पूर्वी ओर स्थित रास्ते से पीढियो से खसरा संख्या 380 व 393 से होकर खसरा संख्या 397 की भूमि में खेत की खड़ाई बुवाई कटाई हेतू ट्रेक्टर से आते जाते है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 380 के खातेदारो ने प्रार्थीगण को उनके खेत में जाने हेतू आत [illegible] 5 माह पूर्व रोक टोक की तब हमने भी समझाईश की कि प्रार्थीगण [illegible] रास्ता बंद नही करे तब वह नही माने। प्रार्थीगण द्वारा बताये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेतो में जाने का नही है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 21 रास्ता रोक देत है तो प्रार्थीगण अपने खेतो की बुवाई नही कर पायेंगे व फसल लेने से वंचित होंगे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

न्हे आर्थिक नुकसान होगा। प्रार्थीगण के खेत में जाने का सबसे निकट व कम दूरी का यही एकमात्र रास्ता है।

भू.अ.नि. निम्बोल की फर्द मौका एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 30.12.2021 व 23.02.2022 के अनुसार मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डिगरना के खसरा संख्या 397 रकबा 2.8004 हैक्टर में जाने हेतू वर्तमान में कोई रास्ता नही है। उक्त भूमि में आवागमन हेतू प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे तथा मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार तीन रास्ते के विकल्प बताये गये है जिन्हे नजरी नक्शे में अलग अलग रंग से दर्शाया जाकर मार्क किया गया है। पक्षकारान् द्वारा बताया गया पहला रास्ता एबी जो नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है जो खसरा संख्या 380 व 393 की पूर्व दिशा की मेड़ के सहारे निकलेगा। उक्त रास्ते की लम्बाई 568 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर के हिसाब से रास्ते का कुल रकबा 0.2272 हैक्टर बनता है। उक्त रास्ते का खसरा संख्या 380 में रकबा 0.1520 हैक्टर तथा खसरा संख्या 393 में रकबा 0.0752 हैक्टर रहेगा। दुसरा रास्ता सी डी नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ते की लम्बाई 460 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर के अनुसार रास्ते का कुल रकबा 0.1840 हैक्टर बनता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 380, 393 व 394 में से निकलेगा एवं रास्ते का रकबा खसरा संख्या 380 में 0.1120 हैक्टर, खसरा संख्या 393 में 0.0480 हैक्टर व खसरा संख्या 394 में 0.0240 हैक्टर रहेगा। इसी प्रकार तीसरा प्रस्तावित रास्ता जो नजरी नक्शे में ई एफ नीली स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की कुल लम्बाई 420 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर के हिसाब से रास्ते का कुल रकबा 0.1680 हैक्टर बनता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 381, 391, 392, 394 में से निकलेगा, में खसरा संख्या 381 में रकबा 0.0320 हैक्टर, खसरा संख्या 391 में रकबा 0.0720 हैक्टर, खसरा संख्या 392 में रकबा 0.0400 हैक्टर व खसरा संख्या 394 में रकबा 0.0240 हैक्टर रहेगा। उपरोक्त तीनो प्रस्तावित रास्तो में से रास्ता ई एफ न्युनतम दूरी पर रहेगा। उक्त भूमि का मुआवजा राशि की गणना निम्नानुसार है- ग्राम डिगरना की डीएलसी दर 48587 प्रति बीघा का प्रति वर्गमीटर दर 30.01 तथा उसका दुगुना 60.02 का रास्ता ई एफ का 1699.68×60.02 की मुआवजा राशि 1,02,100/- बनती है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई एवं गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डिगरना तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397 रकबा 2.8004 हैक्टर तक पहुंच के लिए कोई अभिलेखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की आराजी की पूर्व दिशा में अभिलेखित मार्ग से लगता हुआ अप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 380 व 393 है जिसके लगता हुआ प्रार्थीगण का खेत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2. अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 10 से 14, 16 तथा 22 से 27 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण अपने खेतो में आने जाने के लिए ग्राम डिगरना से फालकी जाने वाले रास्ते पर खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 की भूमि का उपयोग करते आ रहे है। खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 में से प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु रास्ते की लम्बाई 1400 फुट है जो प्रार्थीगण के भाईबन्ध की है जबकि खसरा संख्या 380 व 393 में से प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु रास्ते की लम्बाई 1900 फुट है। न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प के रूप में प्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 ही कानूनन उचित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हो।

3. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा दिनांक 30.12.2021 व 23.02.2022 को तैयार एवं न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय मौका रिपोर्ट एवं टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 397 तक आगमन के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नही है। प्रार्थीगण की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 397 तक पहुंच के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित है।

1. प्रथम विकल्प- खसरा संख्या 380 व 393 में से मार्क ए से बी 568 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 0.2272 हैक्टर अर्थात 2272 वर्गमीटर बनता है।

2. द्वितीय विकल्प- खसरा संख्या 380, 393 व 394 में से मार्क सी से डी 460 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 0.1840 हैक्टर अर्थात 1861.52 वर्गमीटर बनता है।

3. तृतीय विकल्प- खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 में से मार्क ई से एफ 420 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 0.1680 हैक्टर अर्थात 1699.68 वर्गमीटर बनता है।

उपर्युक्त तीनो प्रस्तावित विकल्प भू अभिलेख में दर्ज अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 379 गैर मुमकिन रास्ता से प्रस्तावित किए गए है। निकटतम अभिलिखित रास्ते से प्रार्थीगण की जोत तक रास्ते हेतु प्रथम विकल्प की लम्बाई 568 मीटर कुल रकबा 0.2272 हैक्टर अर्थात 2272 वर्गमीटर , दुसरे विकल्प की लम्बाई 460 मीटर कुल रकबा 0.1840 हैक्टर अर्थात 1861.52 वर्गमीटर तथा तीसरे विकल्प की लम्बाई 420 मीटर कुल रकबा 0.1680 हैक्टर अर्थात 1699.68 वर्गमीटर है, इस प्रकार तृतीय विकल्प न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प है।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता :–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की, की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 397 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। यह उपलब्ध भू नक्शा तथा भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित तृतीय विकल्प डिगरना फालकी अभिलिखित सड़क मार्ग खसरा संख्या 379 से अप्रार्थीगण की आ[illegible]सरा संख्या 381, 391, 392 व 394 के सहारे खसरा संख्या [illegible] से एफ के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 420 [illegible]टर चौड़ा जिसका कुल रकबा 0.1680 हैक्टर अर्थात 1699.68 वर्गमीटर है, न्यू[illegible]म एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

5. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 48587/- रूपये प्रति बीघा अर्थात 30.01 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 0.1680 हैक्टर अर्थात 1699.68 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 48587/- रूपये प्रति बीघा अर्थात 30.01 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 60.02 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.1680 हैक्टर अर्थात 1699.68 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,02,100/- रूपये (अक्षरे एक लाख दो हजार एक सौ रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विव्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए डिगरना फालकी अभिलिखित मार्ग खसरा संख्या 379 से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 के सहारे प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 397 की सीमा तक भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में मार्क ई से एफ के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 568 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा जिसका कुल रकबा 0.1680 हैक्टर अर्थात 1699.68 वर्गमीटर बनता है, को खातेदारान् के कुल रकबे में से कम किया जाकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 1,02,100/- रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 के प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 के खसरा नम्बर 397 रकबा 2.8004 हैक्टर की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता डिगरना फालकी अभिलिखित मार्ग खसरा संख्या 379 से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 के सहारे प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 397 की सीमा तक भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में मार्क ई से एफ के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 568 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा जिसका कुल रकबा 0.1680 अर्थात 1699.68 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक दर्ज किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.1680 अर्थात 1699.68 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

,02,100/-रूपये (अक्षरे एक लाख दो हजार एक सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते ए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि ार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 381, 391, 392 व 394 के खातेदारान् के ध्य प्रभावित हिस्से एवं रकबे के अनुपात में भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भु अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा तैयार दिनांक 23.02.2022 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **16/05/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:32 IST
Reason: SelfAttested